राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

# प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 16.06.2026

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के निदेशानुसार आसन्न पंचायत आम निर्वाचन 2026 के सफल, सुचारू और निष्पक्ष संचालन की दिशा में दिनांक 15 जून, 2026 को 'प्रपत्र-1' का अंतिम प्रकाशन सफलतापूर्वक कर दिया गया है। 'प्रपत्र-1' पंचायत निर्वाचन का आधारभूत वैधानिक दस्तावेज है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है, इसका प्रकाशन आरक्षण निर्धारण का वैधानिक आधार है। पदवार प्रकाशित 'प्रपत्र-1' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन, कोटियार जनसंख्या विवरण अंकित है। निर्वाचन प्रक्रिया में इस कार्य की अत्यधिक महत्ता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए, संबंधित जिला पदाधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया।

ध्यातव्य है कि प्रपत्र-1 के प्रकाशन का मूल उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायत निकायों (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) एवं ग्राम कचहरियों के सभी पदों पर आरक्षण की स्थिति का सटीक, त्रुटिरहित और पारदर्शी निर्धारण करना है।

इस क्रम में प्रपत्र-1 के अंतिम प्रकाशन के उपरांत संबंधित आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन किया जायेगा और आयोग को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रेत्तर प्रक्रिया के रूप में निम्न प्रक्रम का चरणवार/ तिथिवार संधारण किया जाना हैः-

- **प्रपत्र-1 के आंकड़ों का जिला गजट में प्रकाशन :** 20.06.2026
- **जिला गजट की प्रति आयोग को उपलब्ध कराया जाना :** 23.06.2026

**मतदाता/नागरिक हेतु सुविधाः** कोई भी मतदाता / नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन/ मतदाता सूची/मतदान केन्द्र तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नं. 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

16/6/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

Scanned with OKEN Scanner